कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-27/2016-17/

दिनांक : /09/2016

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी,

उधमसिहं नगर

विषय : जिला पंचायतराज अधिकारी, उधमसिहं नगर का वर्ष 07/2015 से 06/2016 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में 01 प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 में 03 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर हैं इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरो की परिपालन आख्या सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 की सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 27/2016-17/ दिनांक : /09/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-4 (ब)-1 के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी, उधमसिहं नगर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, - जिला पंचायत राज अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस. के. त्यागी.,व. ले.प.अ.
(ii) श्री एल. एस. लिगंवाल., स.ले.प.अ.
(iii) श्री अर्जुन सिहं, स.ले.प.अ.
(iv) श्री के.बी.गुरुंग, पर्यावेक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 18.07.2016 से 25.07.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 07/2015 से 06/2016

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **जिला पंचायत राज अधिकारी, उधमसिहं नगर,**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र : -

जनसंख्या :

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या :

3. (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः

4. (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

बैठक :

5. कर्मचारियों की संख्या: -41

6. पंचायतराज की सम्पतियां: -

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -

8. योजनाओं की संख्या

9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

z(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि:

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय:

(अ) सामान्यः-

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद- उधमसिहं नगर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 07/2015 से 06/2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस. के. त्यागी,व.ले.प.अ, श्री एल. एस. लिगंवाल., स.ले.प.अ., श्री अर्जुन सिहं स.ले.प.अ.तथा श्री के.बी.गुरुंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 18.07.2015 से 25.07.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तरः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-I**	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-II**

इकाई को प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
	प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख -

भाग 4(ब)1

प्रस्तर 1:- धनराशि ` 17.68 लाख का विगत 08 वर्षों से अनावश्यक अवरोधन।

समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को सम्बोधित निदेशक, पंचायतीराज के पत्रांक सं.-/पं.-2/लेखा/2012-13 दिंनाक 27.11.2012, जिसकी प्रति समस्त जिला पंचायत राज अधिकारियों को प्रेषित थी, द्वारा राज्य वित्त आयोग की अप्रयुक्त धनराशि को समय बद्ध रुप से यथाशीघ्र उपयोग करने के निर्देश दिये गये थे।

जिला पंचायत राज अधिकारी, उधमसिंह नगर के अभिलेखों की जाँच में संज्ञान में आया कि जून 2016 के रोकड़ बही की मासिक लेखा बन्दी विवरण में "राज्य वित्त आयोग" मद के अन्तर्गत धनराशि ` 17.68 लाख का विगत अवशेष दिखाया गया था। अवशेष धनराशि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 व वर्ष 2007-08 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतो को प्रस्तावित कार्यों के सम्पादन हेतु आवंटित की गयी थी जिसे तत्समय विभाग द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को अवमुक्त नहीं किया गया था।

इस प्रकार, विभागयी उदासीनता के कारण धनराशि आवंटन के बावजूद ` 17.68 लाख की राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि तत्समय सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाना थी किन्तु किन्ही कारणों से तत्कालीन अधिकारियों द्वारा प्राप्त धनराशि का कुछ हिस्सा रोका गया था जो अभी तक अवशेष था।

उत्तर सम्पेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि नवम्बर 2012 में राज्य वित्त आयोग की अप्रयुक्त धनराशि को यथाशीघ्र उपयोग करने के निर्देश निदेशालय द्वारा दिये गये थे।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1(अ):-14वाँ वित्त एवं क्षेत्र पंचायत विकास निधि में ` 2717.29 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अप्राप्त होना।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14वाँ वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतो को प्रथम व द्वितीय किस्त के रुप में ` 2682.16 लाख अवमुक्त किया गया था एवं क्षेत्र पंचायत विकास निधि में ` 61.92 लाख अवमुक्त किया गया था। अवमुक्त प्रथम एवं द्वितीय किस्त को उपयोगिता प्रमाण-पत्र क्रमशः अक्टूबर 2015 व मार्च 2016 तक जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर शासन को प्रेषित किए जाने थे। जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः-

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	**योजना**	**अवमुक्त**	**उपयोग**	**शेष**
1.	14वाँ केन्द्रीय वित्त	2682.16	-	2682.16
2.	क्षेत्र पंचायत विकास निधि	61.92	26.79	35.13
	योग-	**2744.08**	**26.79**	**2717.29**

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि ` 2744.08 लाख के सापेक्ष मात्र 26.79 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को प्राप्त था। जबकि प्रथम किस्त उपयोग करने के पश्चात ही द्वितीय किस्त अवमुक्त की जाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार करते हुये बताया की द्वितीय किस्त वर्ष के अन्तिम माह में प्राप्त होने के कारण कुछ विकास खण्ड़ो के कुछ ग्राम पंचायत से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित नहीं किया जा सका यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासन/निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

अतः ` 2717.29 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अप्राप्त होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग 4(ब)2</u>

<u>प्रस्तर 2</u>:- बिना प्रस्ताव पारित के ` 0.625 लाख का कार्य कराया जाना।

क्षेत्र पंचायत विकास निधि वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत, सितारगंज को ` 8.85 लाख, 14 कार्य हेतु दिंनांक 07.07.2015 को अवमुक्त किया गया था। स्वीकृत कार्यों को ग्राम पंचायत सरौजा में 21 स्थानों पर स्ट्रीट लाईट की स्थापना किया जाना था, परन्तु ग्राम पंचायत के लोगों के अनुरोध पर पंचायत सदस्य द्वारा दिंनाक 20.02.2016 को निवेदन किया गया कि उक्त कार्य के स्थान पर सी.सी.मार्ग से रिशपाल के घर तक सी.सी. मार्ग निर्माण कराया जाये। क्षेत्र पंचायत द्वारा दिंनाक 03.09.2015 को प्रस्ताव पारित कर मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर से दिंनांक 19.05.2016 को कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी।

जिला पंचायतराज अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत, सरौजा में संशोधित कार्य को क्षेत्र पंचायत की बैठक में बिना प्रस्ताव के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य काराया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव (20.02.2016) से छः माह पूर्व (03.09.2015) क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था तथा कार्यवाही पंजिका में संशोधित कार्य को पुनः दर्ज किया गया था। इस प्रकार सम्बन्धित कार्य को क्षेत्र पंचायत अनुमोदन के पूर्व कार्य कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित खण्ड़ विकास अधिकारी से स्थिति स्पष्ट की जा रही है शीघ्र ही स्थिति स्पष्ट हो जाने पर दल को अवगत करा दिया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पंचायतीराज व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य सम्पादन किया जाना था।

अतः बिना प्रस्ताव पारित के ` 0.625 लाख का कार्य कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 4(ब)2</u>

प्रस्तर 1(ब):- ` 434.40 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित न किये जाने एवं क्षेत्र पंचायतों को धनराशि का समय से न भेजा जाना।

शासन द्वारा विकास कार्यों हेतु क्षेत्र पंचायतों को धनराशि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों के माध्यम से संक्रमित की जाती है, तथा अपेक्षा की जाती है कि जिला पंचायत राज अधिकारी संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक क्षेत्र पंचायत से प्राप्त कर निदेशक पंचायती राज के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेगा साथ ही शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश रहते है कि जिला पंचायत राज अधिकारी संक्रमित धनराशि को ट्रेजरी चेक/क्रास्ड बैक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि प्राप्ति के 15 दिन के भीतर समस्त संबंधित क्षेत्र पंचायतो को आवश्यक रुप से भेजना सुनिश्चित करेगा।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2015-16 में तृतीय राज्य वित्त की संस्तुतियों के आधार पर समस्त क्षेत्र पंचायतों हेतु निम्नानुसार धनराशि प्राप्त हुई थी।

किस्त	**धनराशि ` लाख में**	**प्राप्ति दिंनाक**	**क्षेत्र पंचायतो को भेजने का दिंनाक**
प्रथम किस्त	217.20	29.04.2015	20.07.2015
द्वितीय किस्त	217.20	19.10.2015	02.03.2016
योग	**434.40**		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट था कि शासनादेश कि उक्त धनराशि 15 दिन के भीतर क्षेत्र पंचायतों को भेजा जाना आवश्यक था के विपरीत उक्त धनराशि एवं क्षेत्र पंचायत अंश की प्रथम एवं द्वितीय छःमाह किश्त क्रमशः लगभग 83 दिन पश्चात एवं 135 दिन पश्चात क्षेत्र पंचायतों को भेजी गयी थी।

आगे लेखापरीक्षा में देखा गया कि जनपद के सात विकास खण्ड़ों में से मात्र दो विकास खण्ड रुद्रपुर एवं सितांरगज से ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो पाये थे, जिसके कारण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि क्रमशः 30 जून 2015 एवं 31.12.2015 के पश्चात भी लेखापरीक्षा अवधि तक उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को नहीं भेजे गये थे।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया गया कि सम्बन्धित बजट आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के साथ ही अनेक अवकाश हडताल होने के साथ-साथ अधिकारियों की व्यस्तता के कारण धनराशि विलंब से भेजी गई थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को न भेजे जाने के सम्बन्ध में इकाई का कहना था कि कुछ विकास खण्ड़ो से उपयोगिता प्रमाण-पत्र विलम्ब से प्राप्त होने के कारण शासन को नहीं भेजा जा सका था। जिसे शीघ्र ही प्रेषित कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था। क्योंकि क्षेत्र पंचायतों को धनराशि निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना व उनसे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को भेजने का उत्तरदायित्व जिला पंचायतराज अधिकारी का था।

अतः ` 434.40 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को शासन को प्रस्तुत न करने एवं क्षेत्र पंचायतों को धनराशि को समय से प्रेषित न करने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 4(ब)2</u>

<u>प्रस्तर 1(स)</u>:- ग्राम पंचायतों को रा.वि. आयोग की धनराशि का देरी से संक्रमण एवं ` 1233.46 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का पेडिंग रहना।

उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा रा.वि. आयोग की संस्तुति पर ग्रामो में विकास कार्यों हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से इस आशय के साथ संक्रमित की जाती है कि इस राशि को जिला पंचायतराज अधिकारी प्रप्ति के 15 दिन के भीतर समस्त ग्राम पंचायतों को चैक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेगें तथा धनराशि के उपयोग होने संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/ सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन (वित्त अनुभाग-।) सचिव ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा।

जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के राज्य वित्त ग्राम पंचायत अंश के संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई को वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायतों को भेजने हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि प्राप्त हुई थी।

किस्त	**ग्राम पंचायत की संख्या**	**धनराशि ` लाख में**	**प्राप्ति दिनांक**	**ग्राम पं0 को धनराशि का प्रेषण**
प्रथम	391	623.61	29-04-2015	10-07-2015
द्वितीय	391	609.85	29-01-2016	28-03-2016
योग		**1233.46**		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है ग्राम पंचायतों को धनराशि काफी विलंब से भेजी गई थी। आगे देखा गया कि इकाई द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र भी नही भेजा गया था जबकि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु निर्धारित समयावधि प्रथम किस्त हेतु 30 जून 2015 एवं द्वितीय किस्त हेतु 31 मार्च 2016 तय थी।

उपरोक्त संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु ग्राम पंचायतों को कई बार दूरभाष से कहा गया एवं पत्र भी भेजा गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्र शीध्र ही प्राप्त कर प्रेषित कर दिये जायेगे जबकि धनराशि का समय से संक्रमण (भेजने) के संबंध में इकाई का कहना था कि बजट आदेश देरी से प्राप्त होने एवं अधिकारियों/ ट्रेजरी की व्यस्तता के अतिरिक्त काफी अवकाश होने के कारण धनराशि भेजने में विलम्ब हुआ था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि धनराशि को समय से ग्रा0प0 को उपलब्ध कराना एवं शासन को उपयोगिता प्रमाण भेजने की जिम्मेदारी जिला पंचायतराज अधिकारी की होती है।

अतः धनराशि का ग्राम पंचायत को देरी से संक्रमण एवं ` 1233.46 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 4(ब)2</u>

<u>प्रस्तर 3</u>:- अनुसूचित जनजाति योजना पर आंवटित धनराशि ` 8.85 लाख के सापेक्ष ` 6.32 लाख दिशा-निर्देश के विपरीत व्यय करना।

क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत, खटीमा में अनुसूचित जनजाति योजना हेतु दिंनाक 07.07.2015 को ` 8.85 लाख अवमुक्त किया गया था। क्षेत्र पंचायत द्वारा बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य सम्पादन कराया गया एवं उपभोग प्रमाण-पत्र जिला पंचायतराज अधिकारी को प्रेषित किया गया था।

जिला पंचायतराज अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अनुसूचित जनजाति योजना में प्राप्त धनराशि ` 8.85 लाख के सापेक्ष ` 6.32 लाख अन्य कार्य पर व्यय किया गया जबकि आंवटन आदेश में उल्लेखित किया गया था कि क्षेत्र पंचायत विकास निधि वर्ष 2015-16 के अनुदान का व्यय शासनादेश दिंनाक 13 जून 2005 के दिशा-निर्देश के अनुरुप एवं बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जाये, परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा बैठक में दिशा-निर्देश के अनुरुप प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया एवं कार्य कराया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि क्षेत्र पंचायत, खटीमा से कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगा जायेगा तत्पश्चात लेखापरीक्ष को अवगत कराया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि दिशा-निर्देशों एवं श्रेणीवार फाटवार करने के उपरान्त भी धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं किया गया।

अतः अनुसूचित जनजाति योजना पर आवंटित धनराशि ` 8.85 लाख के सापेक्ष ` 6.32 लाख अन्य योजना/दिशा-निर्देश के विपरीत कार्य कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **जिला पंचायत राज अधिकारी, रुद्रपुर जनपद-उधमसिंह नगर** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी.-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0